राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2013/2015/सवाईमाधोपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगापुरसिटी. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स साहू ट्रेडिंग कम्पनी, भाड़ोती, सवाईमाधोपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 113/आरवेट/2014–15/अपी.प्राधि./भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.7.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–गंगापुरसिटी (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 29.5.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. उक्त प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आर.जे.25/जीए–1445 की जांच की गई, जिसमें 232 बोरी सरसों परिवहनित की जा रही थी जिसके साथ में बिल संख्या 105 दिनांक 26.5.2014 प्रस्तुत किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह आदेश किया गया कि प्रस्तुत बिल संदिग्ध है अतः राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(6) के तहत शास्ति एवं कर का आरोपण किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष दिया है कि "शास्ति आदेश का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि यह अभियोग केवल मात्र सन्देह होने के एक मात्र आक्षेप पर बनाया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा किसी धारा, उपधारा, नियम, उपनियम या अन्य प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। सत्यापन पर दस्तावेज सही पाए जाने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित कर दी गई जो कि पूर्णतः निराधार है।"

लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को उचित बताया एवं अपीलीय आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात् एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि माल के साथ में 232 बोरी सरसों का बिल प्रस्तुत था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं बताया है। यह भी पाया गया कि माल का बिल एवं कृषि मण्डी की रसीद एवं बिल्टी की प्रतियां भी प्रस्तुत थीं, ऐसी स्थिति में बिना किसी नियम या प्रावधानों का उल्लंघन बताये ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गयी है जो न्याय एवं विधि के विरूद्ध है। वेट अधिनियम की धारा 76(6) में शास्ति का आरोपण केवल धारा 76(2) के किसी उल्लंघन के अपराध में किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में धारा 76(2) का कोई उल्लंघन होने का कोई आधार या निष्कर्ष दिये बिना ही शास्ति आरोपित की गई है। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य